

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

डी0एफ0पी0/एफ0-1/371/2015

पत्रांक :-
प्रेषक,

पटना,

दिनांक :-

पंकज कुमार सिंह
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :- मेसर्स नीलकंठ चावल मिल्स प्रा0 लि0, अहियापुर, कोच, गया को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत परियोजना को प्रथम, किस्त के रूप में ₹ 33.212 लाख (तैतीस लाख एक्कीस हजार दो सौ) एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 66.424 लाख (छियासठ लाख बेयालिस हजार चार सौ) अर्थात् कुल ₹ 99.636 लाख (निन्यानवे लाख तिरसठ हजार छः सौ) मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स नीलकंठ चावल मिल्स प्रा0 लि0, अहियापुर, कोच, गया को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत देय अनुदान की संशोधित कुल राशि ₹ ₹ 166.06 लाख (एक सौ छियासठ लाख छः हजार) मात्र होता है। जिसे क्रमशः 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के तीन किस्तों में विमुक्त किया जाना है। अतः प्रथम, किस्त के रूप में ₹ 33.212 लाख (तैतीस लाख एक्कीस हजार दो सौ) एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 66.424 लाख (छियासठ लाख बेयालिस हजार चार सौ) अर्थात् कुल ₹ 99.636 लाख (निन्यानवे लाख तिरसठ हजार छः सौ) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

(क) अनुदान की राशि का उपयोग इन्टीग्रेटेड डेभलपमेन्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर योजना के अनुरूप परियोजना की परिसम्पतियों (एसेट्स) के निर्माण में किया जायेगा। इसका उपयोग बैंक के वर्किंग कैपिटल लोन की वापसी हेतु अथवा भिन्न अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। साथ ही उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/प्रमाण-पत्रों एवं अनुदान की गणना में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो निवेशक कम्पनी को यह राशि उद्योग विभाग को वापस करनी होगी।

(ख) निवेशक कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के साथ किये गये एकरारनामा की शर्तों के अधीन अनुदान की राशि की स्वीकृति/विमुक्ति की जाती है। अनुदान की राशि का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा। विमुक्त किये गये अनुदान की राशि निवेशक कम्पनी के नो-लियन खाते में जमा किया जायेगा। नो-लियन खाते से आवश्यकतानुसार समय-समय पर राशि की निकासी कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं उद्योग विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

2. मेसर्स नीलकंठ चावल मिल्स प्रा0 लि0, अहियापुर, कोच, गया को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत परियोजना को स्वीकृत अनुदान की संशोधित गणना के अनुसार प्रथम, किस्त के रूप में ₹ 33.212 लाख (तैतीस लाख एक्कीस हजार दो सौ) एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 66.424 लाख (छियासठ लाख बेयालिस हजार चार सौ) अर्थात् कुल ₹ 99.636 लाख (निन्यानवे लाख तिरसठ हजार छः सौ) की विमुक्ति उक्त निहित शर्तों के अधीन किया जाता है।

3. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं0-2060, दिनांक 11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06-2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता माँग सं0-23, उप शीर्ष-0160-प्रीप्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852801020160 विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

6. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी0 टी0 सी0 फार्म-25 पर की जायेगी।

7. इस राशि का भुगतान मेसर्स नीलकंठ चावल मिल्स प्रा0 लि0, अहियापुर, कोच, गया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गया कोर्ट, गया के नो-लियन खाता सं0-38183823138 आई0एफ0एस0सी0 कोड-SBIN0000079 में RTGS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

ह0/-
उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

233A

पटना, दिनांक :-

08/03/19

प्रतिलिपि :- निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री भी0एन0ठाकुर, उप निदेशक (तक0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मेसर्स नीलकंठ चावल मिल्स प्रा0 लि0, अहियापुर, कोच, गया/शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गया कोर्ट, गया एवं प्रबंधक, IL&FS-CDI Ltd., तीसरा एवं चौथा तल्ला, आरकेड बिजनेस कॉलेज, अपोजिट संत कैरेन्स सेकेन्ड्री स्कूल, खगौल रोड, नियर सगुना मोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उद्योग निदेशक

बिहार पटना।